

# कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

## ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया सत्र : 2016–17

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 07 जून 2010 में उल्लेखित नियम-7 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुपालन में काउंसलिंग हेतु वर्ष 2016–17 के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

### काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु प्रमुख पाँच स्टेप

- प्रथम स्टेप : पंजीयन (निःशुल्क) (Registration (Free))
- द्वितीय स्टेप : दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
- तृतीय स्टेप : प्राथमिकताक्रम का चयन तथा शिक्षण शुल्क का आंशिक भुगतान (Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)
- चतुर्थ स्टेप : आवंटन (Allotment)
- पंचम स्टेप : आवंटित संस्था में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश (Reporting, Document Verification and Admission in Alloted Institute)

### काउंसलिंग में सम्मिलित होने के माध्यम

- इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एन्ड्रायड फोन के माध्यम से कहीं से भी।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों से (यथा शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय/राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/अन्य शासकीय संस्थाएं, जिनका दूरभाष एवं पता वेबसाइट [dte.mponline.gov.in/dtempcounselling.org](http://dte.mponline.gov.in/dtempcounselling.org) पर उपलब्ध रहेगा)
- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

### काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यम

- ई-वालेट (Paytm), इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।
- अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नगद भुगतान।
- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।

## प्रथम स्टेप

### पंजीयन (Registration)

- समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये निःशुल्क ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ऑन लाईन पंजीयन प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा/विशेष अंतिम चरण में केवल एक बार पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थी को पंजीयन की कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित जानकारी अपने साथ रखना आवश्यक होगी:—  
प्रवेश परीक्षा(जेईई(मेन)/पीपीटी/सी-मेट/ नाटा/गेट/जीपेट) की अंकसूची, हाई स्कूल(10वीं) परीक्षा की अंकसूची, अर्हकारी परीक्षा (यथा दसवीं/बारहवीं/डिप्लोमा/स्नातक) की अंकसूची, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), किसी भी तरह का आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र (यथा SC/ST/OBC/S/FF/TS/HC/NCC/BPL/ ClassIV/JK) (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी (काउंसलिंग संबंधित सूचनाओं एवं अस्थाई पासवर्ड प्राप्त हेतु)
- पंजीयन प्रक्रिया उपरांत अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बदल लें एवं गोपनीय रखें। पासवर्ड काउंसलिंग के दौरान कभी भी बदला जा सकता है। पासवर्ड भूलने की स्थिति में फॉरगेट पासवर्ड (Forgot Password) लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अथवा अधिकृत सहायता केन्द्र से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।

## द्वितीय स्टेप

### दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

- पंजीयन उपरांत सभी अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्रों में करवाना होगा।
- सत्यापन उपरांत Eligible/Not Eligible की पावती की जांच कर सुरक्षित रखें। Not Eligible की पावती प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी अपने वैद्य दस्तावेजों के साथ पुनः सत्यापन करवा सकता है।
- ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फार्मूला उपलब्ध न हो तो संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र लाना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

## तृतीय स्टेप

### प्राथमिकताक्रम का चयन तथा शिक्षण शुल्क का आंशिक भुगतान (Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

पंजीयन एवं सत्यापन उपरांत अर्ह (Eligible) अभ्यर्थी पाठ्यक्रमवार, संस्थाओं/ब्रांच का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेंगे।

- अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
- अभ्यर्थी को प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के लिये काउंसलिंग शुल्क एवं आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु कुल शुल्क ₹1530/- (पोर्टल चार्जस ₹130/-सहित) (वापसी योग्य नहीं) Non Refundable एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु काउंसलिंग शुल्क ₹330/- (पोर्टल चार्जस ₹130/-सहित) (वापसी योग्य नहीं) Non Refundable देय होगा।
- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पूर्व चयनित प्राथमिकताक्रम को कितनी भी बार बदल सकते हैं।
- प्राथमिकताक्रम (Choice) लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को, शुल्क का भुगतान करते समय एक One Time Password (OTP) पासवर्ड उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि करने पर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होकर चयनित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

## चतुर्थ स्टेप

### ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

- मेरिट के अनुसार प्राथमिकताक्रम एवं आरक्षण नियमों के अनुसार आवंटन किया जावेगा एवं आवंटन पत्र जारी होगा।
- जिन पाठ्यक्रमों में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध है तथा अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत करता है, तों उच्च प्राथमिकता के लाभ का अवसर मिलेगा। अपग्रेडेशन के उपरांत नवीन आवंटन अनुसार संस्था/पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश प्राप्त करना होगा।
- यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश अथवा अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका आवंटन निरस्त माना जावेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि ₹ 1000/-की कटौती कर ली जावेगी।

## पंचम स्टेप

### आवंटित संस्था में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश

#### (Reporting, Document Verification and Admission in Alloted Institute)

- अभ्यर्थी को अंतिम तिथि के पूर्व आवंटित संस्था में आवंटन पत्र के साथ-साथ समस्त आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा।

- संस्था में दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी अपने पासवर्ड के माध्यम से रिपोर्टिंग कर लॉक करेंगे तथा संस्था से ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (Admission Slip) अभ्यर्थी प्रवेश पर्ची का सूक्ष्मता से अवलोकन कर लें।
- सत्यापन के दौरान अयोग्य घोषित होने पर Not Eligible की पर्ची प्राप्त होगी।
- Not Eligible अभ्यर्थी रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
- अनुपस्थित/Not Eligible अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जाएंगी तथा रिक्त स्थान अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश संबंधी स्टेटस को अपने लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड से अवश्य सुनिश्चित कर लें।
- प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर चेक कैंडिडेट स्टेटस (Check Candidate Status) लिंक से चैक कर सकते हैं।
- काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करना होगा।
- अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट [www.afrcmp.org](http://www.afrcmp.org) देखें)

### द्वितीय चरण की काउंसलिंग

#### (Second Phase Counselling)

- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं हो सके अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं ले सकें अथवा प्रथम चरण में जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त कर अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया हो सम्मिलित हो सकेंगे
- यदि प्रवेश परीक्षा एवं अर्हकारी परीक्षा दोनों के आधार पर द्वितीय चरण आयोजित होता है तो प्रथम चरण के आवंटन उपरांत शेष रही सीटों पर सर्वप्रथम प्रवेश परीक्षा के आधार पर एवं तत्पश्चात शेष सीटों पर अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन किया जावेगा।
- अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी स्टेप्स का पालन करना होगा।

## आंतरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Change) केवल बी.ई.(फुल टाईम) पाठ्यक्रम हेतु

केवल बी.ई.(फुल टाईम) पाठ्यक्रम में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के पश्चात् संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ही ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर ब्रांच के विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में उनकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में ही उसका प्रवेश मान्य होगा।

## विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग (Special Last Round of Counselling)

केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के विभिन्न चरणों के उपरान्त रिक्त सीटों पर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग का निर्णय लिया जा सकता है।

- विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों का प्रवेश ऑन लाईन केन्द्रीयकृत माध्यम द्वारा किया जायेगा।
- काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को पंजीयन करवाना आवश्यक है। पूर्ववर्ती चरणों में यदि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं है।
- अभ्यर्थियों को पंजीयन उपरान्त अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से करवाना आवश्यक है। पूर्ववर्ती चरणों में जिन अभ्यर्थियों ने अपने समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया है उन्हें पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
- अभ्यर्थी पंजीयन एवं सत्यापन के उपरान्त अपना प्रिन्ट आउट आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के लिये काउंसलिंग शुल्क एवं आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु कुल शुल्क ₹1530/- (पोर्टल चार्जस ₹130/-सहित) (वापसी योग्य नहीं) Non Refundable एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु काउंसलिंग शुल्क ₹330/- (पोर्टल चार्जस ₹130/-सहित) (वापसी योग्य नहीं) Non Refundable देय होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) करने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1130/- (₹130/-पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।

- जिन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, उनमें प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की मेरिट की वरीयता से प्रवेश दिये जायेंगे तत्पश्चात् रिक्त सीटों पर अर्हकारी परीक्षा की मेरिट की वरीयता से प्रवेश दिये जायेंगे।
- प्रवेश संबंधित अर्हता के लिये संबंधित पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमों का अवलोकन करें।

## प्रवेश निरस्तीकरण

### (Admission Cancellation)

- किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं।
- यदि किसी प्रकरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।
- प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी। प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC) प्राप्त करना होगा।

## विशेष सीटों पर प्रवेश की जानकारी

- शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश
- अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश
- संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश
- विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई. डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

### शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश

केवल बी.ई.(फुल टाइम)/पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त की है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें उपलब्ध रहेंगी।
- एक बार प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क की सम्पूर्ण छूट दी जावेगी। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।
- यह योजना मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ₹6.0 लाख रुपये से कम है।
- बी.ई.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये JEE (Main)-2016 तथा पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु PPT-2016 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से ही दिया जायेगा।

### अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से इस योजना की अनुमति प्राप्त की है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटें उपलब्ध रहेंगी।
- मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" {Admission (Reservation to Non-Resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011} के आधार पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (स्वयं,

माता या पिता अनिवासी भारतीय हों) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित तिथि को केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जाते हैं।

- इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा। वर्तमान में उक्त शुल्क ₹1.5 लाख निर्धारित है।
- अनिवासी भारतीय सीटों की काउंसलिंग पृथक से की जावेगी इस हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिये अधिकृत पोर्टल पर पृथक से पंजीयन कराकर पूर्व निर्धारित तिथि एवं स्थान को उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय-सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

### संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

केवल बी.ई./बी. एवं डी.फार्मसी/बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के लिये

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग केवल उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक आवेदन किया है।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान उपलब्ध होंगे।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में उम्मीदवारों का प्रवेश संस्था स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को पंजीयन उपरान्त अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से करवाना होगा।
- पूर्ववर्ती चरणों में जिन अभ्यर्थियों ने अपने समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया है उन्हें पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
- इन सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची एवं उनके द्वारा इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संस्था द्वारा जारी विज्ञापन तथा काउंसलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध तिथि को इच्छित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन पंजीयन तथा सत्यापन की पावती के साथ प्रवेश हेतु उपस्थित होना होगा।
- सर्वप्रथम प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की मेरिट तत्पश्चात् सीटें रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- बी.आर्क. में नाटा-2016 तथा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का 50-50 प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- संस्था अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में अपने पास न रखें।
- इन सीटों को "केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरण" पूर्ण होने के उपरांत भरने की अनुमति होगी।



- यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय-सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।
- किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

### विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

- ऐसी संस्थाएँ जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेंगे।
- संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संबंधित दूतावास से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वह भारत में अध्ययन कर सकता है। नेपाल के अभ्यर्थियों को प्रमाणीकृत निवास प्रमाण पत्र (Passport or Citizenship card) भारतीय दूतावास काठमांडु, नेपाल या नेपाली दूतावास, नई दिल्ली से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- सभी चयनित विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों को विदेशों में भारतीय मिशन (Indian Missions Abroad) से वैद्य विद्यार्थी वीजा, प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- इन सीटों की काउंसलिंग पृथक से की जावेगी इस हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिये अधिकृत पोर्टल पर पृथक से पंजीयन कराकर पूर्व निर्धारित तिथि एवं स्थान को उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय-सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं  
संचालक तकनीकी शिक्षा  
मध्यप्रदेश